उत्तर प्रदेश शासन

नियोजन अनुभाग-3

संख्या- 10/202610/2026/आई/1302347 /35-3-2026

लखनऊ: दिनांक: 20 अप्रैल, 2026

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-101-योजना आयोग/योजना बोर्ड-06-मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम निर्गत शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन मद संख्या- 08,11,12,42,46,47 व 58 में प्राविधानित धनराशि कुल रू0 15.00 लाख (पन्द्रह लाख मात्र) को निम्नांकित तलिका में वर्णित विवरण के अनुसार प्रमुख सचिव नियोजन विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख में)

कोड सं0	**मद संख्या/मद नाम**	**वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि**	**प्रमुख सचिव नियोजन के निवर्तन पर रखी गयी धनाराशि**
01	**02**	**03**	**04**
	06-मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम	**राजस्व पक्ष**	
	08-कार्यालय व्यय	0.50	0.50
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.25	0.25
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.25	1.25
	42-अन्य व्यय	5.00	5.00
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.00	3.00
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनी का क्रय	1.50	1.50
	58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3.50	3.50
	योग	**15.00**	**15.00**

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40, लेखाशीर्षक-3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-101-योजना आयोग/योजना बोर्ड-06-मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के संगत मदों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 द्वारा प्रतिनिधानित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे है।

(अमित सिंह बंसल)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या-एवं दिनांक तदैव:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट), प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
4- वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठा भवन-15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- अनुभाग अधिकारी (लेखा) नियोजन सचिव शाखा, नियोजन विभाग।
7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9- आहरण वितरण अधिकारी, स्टेट ट्रासंफार्मेशन कमीशन।
10- सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी।
11- नियोजन अनुभाग-1
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(दुर्गा प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।